श्री सभापति: आपको हो गया।

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY: I would like to know from the hon. Minister whether the trade agreement that we are working out with Bangladesh is contingent on reciprocal undertaking by bangladesh to allow free transit of Indian goods through Bangladesh to the North East.

SHRI YASHWANT SINHA: It is not contingent on transit and transhipment. But this is an issue that we have raised with Bangladesh right from the beginning. There are agreements between India and Bangladesh entered into in 1972, reiterated in 1973, reiterated in 1980, reiterated in 1997 and 1999 where they have agreed to give us transit and transhipment rights. But the transit and transhipment right, as the hon. House might be aware, is mainly through the inland water route. So far as railway and road transits are concerned, Bangladesh's point has been that it is not fit enough or strong enough or adequate enough to be able to take the load of the transit of goods which will move from one part of India to another. This is something that we are continually discussing with them. The reply to the question is the two are not contingent on each other.

चीनी पर उपकर से सग्रंहण

*62 **श्री राम जेठमलानी**:†

लाला लाजपत राय:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या यह सच हैं कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने अपने हाल के प्रतिवेदन में चीनी पर 14 रूपये प्रति क्विंटल की दर से चीनी पर प्रभारित उपकर के माध्यम से एकत्रित निधियों के दुरूपयोग पर चिंता प्रकट की हैं:,

(ख)यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं:

(ग) मार्च, 2003 तक इस कोष में कुल कितनी राशि जमा की गयी थीं: और

† सभा में यह प्रश्न श्री राम जेठमलानी द्वारा पूछा गया।

(घ) इस राशि को किन-किन शीर्षो के अधीन वितरित किया गया तथा प्रत्येक शीर्ष के अधीन कितनी राशि का वितरण किया गया ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा हैं ।

विवरण

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की 2002 (सिविल) की रिपोर्ट संख्या 2के अध्याय 1 में अन्य बातों के साथ-साथ चीनी विकास निधि से धीमी गति से और कम वितरण किए जाने के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी ।

31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार चीनी विकास निधि में अंतरित और जमा कराई गई उपकर की कुल राशि 2826.00 करोड़ रूपये थी । 31 मार्च, 2003 तक इस निधि में मूल और ब्याज के रूप में ऋण की चुकौती के रूप में 781.42 करोड़ रूपये की राशि जमा कराई गई थी । 31 मार्च, 2003 तक इस निधि से शीर्ष-वार वितरित राशि निम्नानुसार हैंः-

(करोड़ रूपये में)

शीर्ष	राशि
चीनी के बफर स्टाक के रखरखाव के लिए राजसहायता	469.00
चीनी उद्योग के विकास के उद्देश्य से अनुसंधान स्कीर्मो के लिए सहायता अनुदान	21.43
गन्ना विकास स्कीमों के लिए चीनी मिलों को ऋण	464.87
चीनी मिलों के आधुनिकीकरण/ पुनर्स्थापन के लिए ऋण	1208.02
चीनी विकास निधि का प्रशासन	37.98
राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान पर खर्च	15.32
जोड़	2216.62

Collection from cess on sugar

†*62. SHRI RAM JETHMALANI:††
SHRI LAJPAT RAI:

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

† Original notice of the question was received in Hindi.
†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ram Jethmalani.

(a) whether it is a fact that the Comptroller and Auditor General of India has in his recent report expressed concern over the misutilisation of funds collected through the cess being charged on sugar at the rate of Rs. 14 per quintal;

(b) if so, the details thereof;

(c) the total amount deposited in this fund till March, 2003; and

(d) the Heads under which this amount has been distributed alongwith the amount distributed under each Head?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD YADAV): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

In the Comptroller & Auditor General of India's Report No. 2 of 2002 (Civil), in Chapter I, concern was, *inter-alia,* indicated in respect of the stow and meagre disbursals from the Sugar Development Fund.

The total amount of cess transferred and deposited in the Sugar Development Fund, as on 31st March, 2003, was Rs. 2826.00 crores. An amount of Rs. 781.42 crores on account of repayment of loan, as principal, and interest had also been deposited in the Fund up to 31st March, 2003. The amounts disbursed, head-wise, from the Fund, upto 31st March, 2003, are as follows:—

(Rs. in crores)

Head	Amount
Subsidy for maintenance of Buffer Stock of Sugar	469.00
Grant-in-Aid for Research Schemes aimed at development of Sugar industry	21.43
Loans to Sugar Mills for Cane Development Schemes	464.87
Loans for Modernization/Rehabilitation of Sugar Mills	1208.02
Administration of Sugar Development Fund	37.98
Expenditure on National Institute of Sugarcane and Sugar Technology	15.32
TOTAL	2216.62

SHRI RAM JETHMALANI: Mr. Chairman, I must say that after reading the answer to this question, I am a little dismayed.

MR. CHAIRMAN: Then why did you read it?

SHRI RAM JETHMALANI: There seems to be total chaos in the Ministry. They do not even understand the purpose of the Act that is being administered. The Sugar Development Act of 1982 has twin objects. Its first object is to give loan for modernisation of bad units and the second object is to do research to bring the latest technology in sugar production. They have given loans to sugar magnates for running their day-to-day business. I find from the answer that Rs. 464 crores have been disbursed under this Head. This is criminal breach of trust. Those who have advanced these loans must be prosecuted under the Prevention of Corruption Act, Secondly, look at the research. Out of Rs. 3,000 crores that they have got from the taxpayers and the poor consumers, they have spent only Rs. 21 crores on research. The C&AG has disclosed that out of 21 projects for which this amount has been given, only four projects have been completed. So far as the remaining projects are concerned, I do not know where the monies have gone. I would like to know from the Minister whether there is any supervision over the expenditure of these funds or not. It shows that there is total chaos.

श्री शरद यादव: सभापति जी, जेठमलानी जी ने जो तथ्य रखे हैं मैं उनका थोड़ा सा विस्तार से जवाब दे दूं। यह शुगर डक्लपमेट फंड 1982-83 में आपरेशन में आया। एस.डी.एफ. में पूरा सेस 3451 करोड़ रूपए इकट्ठा हुआ हैं। इसमें से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमको 2826 करोड़ रूपए दिया हैं। उसमें से हमने डिसबर्स किया है, निश्चित तौर पर माननीय जेठमलानी जी ने कहा है कि रिसर्च पर क्या हैं, मैं सारे हैड्स बताऊंगा कि इस फंड का क्या-क्या मतलब था और इसके क्या-क्या लक्ष्य थे। इसमें से 2,216 करोड़ रूपया डिसबर्स कर दिया गया हैं। यानी इस पूरे फंड का करीब 79 परसेंट यूटीलाइजेशन हम लोगों ने किया हैं। जो अलग-अलग हैड्स में हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि-subsidy for maintenance of buffer stock of Sugar-अभी पूरे देश में जिस तरह की परिस्थिति आयी हैं, इस तरह की...

श्री सभापति: यह सब लिखा हुआ हैं, उन्होंने पढ़ लिया होगा।

SHRI RAM JETHMALANI: I think the hon. Minister should make a promise that he will meet me, and I will discuss this problem with him. It is too complex for him.

श्री शरद यादव: महोदय, मैं मानता हूं कि जेठमलानी जी इसमें मुझे ज्यादा समझा सकते हैं लेकिन जो मेरी जानकारी हैं, वह सदन को भी होनी चाहिए क्योंकि जेठमलानी जी के बराबर सब लोगों को समझ नहीं हैं। जो बफर हैं, उसमें दिया गया हैं....

श्री सभापति: जेठमलानी जी तो मानतें हैं कि सब मेरे बराबर की समझ के हैं।

श्री शरद यादव : इसमें माडर्नाइजेशन पर हैं, इसमें शुगरकेन डेवलपमेंट पर हैं, इसमें रिसर्च पर हैं, इसमें loans for modernization/rehabilitation के लिए है और कभी-कभी आपके सामने ही 412 करोड़ रूपय की सब्सिडी, 20 लाख टन की बफर स्टॉक बनाकर दी गयी हैं। ये सारी चीजें हैं। इस समय हमारे पास 1300 करोड़ रूपये बचे हैं। जो डिसबर्समेंट का मामला हैं, उस संबंध में आज की हालत यह है कि पूरे देश में जो परिस्थिति हैं , उस परिस्थिति में बड़े पैमाने पर इसको किया गया है और निश्चित तौर पर जो मॉनिटरिंग वाली बात वे कह रहे हैं, मैं भी उसे महसूस करता हूं। मैं इस काम में लगा था लेकिन शुगर इंडस्ट्री में जिस तरह से चारों तरफ से परिस्थिति खराब हुई हैं, उसमें अगर यह फंड नहीं होगा तो इस समय ऐसी परिस्थिति से निपटने में बहुम दिक्कत होती। निश्चित तौर पर इसकी मॉनिटरिंग के मामले में हमने विभाग में नए सिरे से मीटिंग करके सारी चीजों को ठीक करने का रास्ता बनाया हैं।

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, my second supplementary is this. Will the hon. Minister give an assurance to this House that he would look into the CAG's allegation that Rs. 230.15 crores have been given for ordinary day-to-day business that is purchasing our seed, purchasing our pesticide, which is totally contrary to the provisions of the Act? It is prohibited in the Act. Will somebody look into these disbursements and see to it that these loans are recovered back from those persons to whom these have been given? Let him at least give this assurance.

श्री शरद यादव : सभापति महोदय, मैंने पहले ही इसका विस्तार से जवाब दिया हैं। इस साल के ऐस्टीमेट बजट में हम लोगों ने जो रखा हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि पैस्टीसाइड पर या दूसरी चीजों पर कभी नहीं दिया जाता है, उस संबध में मैं कहना चाहता हूं के आपने पास ठीक खबर नहीं हैं।

श्री राम जेठमलानी: सीएजी की रिपोर्ट बहुत पुरानी हैं, अब गंगा में बहुत पानी बह गया हैं। पैसा, जो सीएजी ने लिखा था, वह एक साल के लिए दिया हैं। ....(**व्यवधान**)....अगर आप अलाऊ नहीं करेगें तो मैं उनको विस्तार से समझा ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: जेठमलानी जी की आदत हैं, वे पुराने कागज पढ़ते हैं।

SHRI RAM JETHMALANI: I have given him an easy escape route that he might look into it.

श्री शरद यादव : महोदय, मैं आपसे अनुमति इसलिए ले रहा हूं कि इनका ज्ञान तो बहुत विस्तार वाला है लेकिन बाकी मेरे जैसे बहुत से लोग इस सदन में हैं और उनकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि 1300 करोड़ रूपया बचा है । इतना इसका इस्तेमाल हुआ है । अगर यह फंड नहीं होता तो देश में इस समय जो चीनी उद्योग पर संकट आया है, उसका मुकाबला करना बहुत कठिन था । इस प्रकार जो 1300 करोड़ रूपये बचे हैं, इनकी मॉनिटरिंग के लिए, मैं आश्वासन देता हूं कि कमेटी बनाकर सारा सुपरविजन ठीक किया जाएगा ।

लाला लाजपत राय: सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि what is the rationale of making available an amount of Rs. 600 crores out of SCF for the purpose of payment of sugarcane arrears? Does it not defeat the very purpose of creating the Fund? And, is it not likely to result in a fund crunch? My second query is this. How much amount was outstanding as on 31.3.2003 out of advances made for different purposes out of SCF? May I know whether any irregularities have been noticed in disbursement of these loans and subsidies out of the Fund? Thirdly, how much amount had accrued as interest and penal interest up to 31.3.2003 from the said advances? What efforts have been made to recover the said amount and what are the results?

श्री शरद यादव : सभापति जी, मैं लाला ली की बात से सहमत हूं कि जो रिकवरी हैं, वह थोड़ी स्लों हैं । जो डिसबर्समेंट किया गया था, उसमें से 781 करोड़ रूपए वापस आए हैं ।...(**व्यवधान**)...

लाला लाजपत राय: पहले मेरे प्रश्न के पहले पार्ट का जवाब दीजिए ।

श्री सभापति: उनको बोलने दीजिए ।

श्री शरद यादव: लेकिन महोदय, एक बात का मैंने आपके माध्यम से अभी निवेदन किया कि इस फंड में जिस तरह की स्थिति 2002 में थी, वैसी आज नहीं हैं । इस फंड पर बहुत बड़ा बोझ है, इस पर ही सारा लोड है और लाला जी ने जो कहा है, वह 2002 की स्थिति के अनुसार वे कह रहे हैं । निश्चित तौर पर उसमें काफी सुधार हुआ है और इस मद में जो पैसे गए हैं, उनकी मानिटॅरिंग के बारे में भी जो इन्होंने सवाल किया था, उसमें जो मॉनीटरिंग हैं, वह पूरी तरह से दूसरे बैंक करते है । वह हमारे हाथ में नहीं हैं ।

लाला लाजपत राय: सर, मेरा दूसरा प्रश्न भी हैं । इन्होंने पहले प्रश्न का कोई जवाब ही नहीं दिया । मैंने जो 600 करोड़ के बारे में पूछा था, उसका कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया ।

श्री सभापति: हो गया, आप बैठिए । श्री दत्ता मेघे, आप पूछिए ।

श्री दत्ता मेघे : सभापति महोदय, चीनी विकास निधि में महाराष्ट्र का आज तक सबसे ज्यादा हिस्सा रहा हैं । यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन पूरे देश में आज चीनी उद्योग बहुत संकट में आया हुआ हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो निधि का आपने डिस्ट्रिब्यूशन किया है, इसमें महाराष्ट्र को उसका हिस्सा बराबर दिया है या नहीं दिया क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में अभी बफर स्टॉक बहुत बड़े पैमाने पर पूरी मिलों में भरा हुआ हैं और आज भी कोऑपरेटिव मिलें बहुत अड़चन में हैं । तो इसमें महाराष्ट्र पर ध्यान देते हुए, जो भी निधि महाराष्ट्र की ओर से आपको मिली हैं, उसके परिमाण में आप महाराष्ट्र की मदद कर रहे हैं या नहीं ?

श्री शरद यादव: सभापति जी, अभी जो बफर बना हैं, इसके बारे में दत्ता मेघे जी ने कहा कि इनका सूबा यदि महाराष्ट्र इस फंड में 35 परसेंट कंट्रीब्यूट करता है । मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इनका इस शुगर डेवलपमेंट फंड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हैं । अभी जो बफर बना हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि हम सबसे ज्यादा सेस देते हैं और उसमें उन्हें मिला या नहीं मिला, सभापति जी, मैं आपके माध्यम से इन्हें कहना चाहता हूं कि इस बफर में जो स्टॉक हैं, हमने उसको बेसिस बनाया कि महाराष्ट्र के लोगों की जो मांग थी, वह ज्यादा थी और सबसे ज्यादा यदि बफर में किसी को लाभ मिला हैं, तो वह महाराष्ट्र को मिला है । शेष का जो 2826 करोड़ रूपया मिला है, उसमें से ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र को जा रहा है । सभी सूबों में यदि देखें तो नंबर एक पर आप है और नंबर दो पर उत्तर प्रदेश हैं ।...(**व्यवधान**)....

श्री लालू प्रसाद: स्टेटवाइज़ बता दीजिए ।

श्री सभापति: अब आपने बोल दिया हैं ।

श्री लालू प्रसाद: पूछ तो लेने दीजिए ।

श्री सभापति :अब बाद में कर लीजिएगा, दोनों एक ही है। दोनों ही बिहार के हैं । श्री संतोष बागड़ोदिया, पूछिए ।

श्री संतोष बागड़ोदिया: मंत्री जी, आप कृपा करके सुन लें क्योंकि फिर आप इधर-उधर का जवाब दे देंगे तो फायदा नहीं होगा । आप कृपा करके सुन लें, बहुत प्वाइंटेड क्वेश्चन हैं कि यह फंड क्यों बनाया गया था, किस समय बनाया गया था ? उस समय इंडस्ट्री में कोई क्राइसिस नहीं था, इसलिए यह फंड केन डेवलपमेंट के लिए और रीहैबिलिटेशन के लिए बनाया गया था । वह काम आप कर रहे हैं, वह अच्छा हैं और उसमें मेरी कोई शिकायत नहीं हैं लेकिन इस फंड का

यूज़ जो आपने अभी किया- सबसिडी देने के लिए, बफर स्टॉक के लिए, यह अधिकार आपको किसने दिया? यह पार्लियामेंट ने भी नहीं दिया, यह ऐक्ट ने भी नहीं दिया। आप अपनी मरज़ी से इस फंड को काम में ला रहे हैं । इस तरह का काम आपने किस अधिकार से किया, यह एक सवाल हे और दूसरा यह है कि अब जो परिस्थिति चल रही है इंडस्ट्री की, इसमें आप सेस लेना बंद कर दें तो कम से कम यह भी एक सुविधा होगी । इंडस्ट्री से आप सेस न लें तो बड़ी मेहरबानी होगी ।

श्री शरद यादव: सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है, उस पर मुझे विस्तार से जवाब देना पड़ेगा यदि आप अनुमति दें तो ।...(**व्यवधान**)....

श्री संतोष बागड़ोदिया: मैंने प्वाइंटेड क्वेश्चन किया हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु: सर, यह तो एक प्रकार की धमकी हो गई ।

श्री शरद यादव: नहीं, नहीं । मैं प्रश्न का जवाब एक सेंटेंस में दे देता हूं । माननीय सदस्य ने जो कहा हैं कि एस.डी.एफ. का परपज़ क्या हैं, वह ठीक बात कह रहे हैं कि यह मॉडर्नाइज़ेश के लिए था, अपग्रेडेशन के लिए था, शुगरकेन के डेवलपमेंट के लिए था, वह भी हुआ हैं, यानि ...(**व्यवधान**)...थोड़ा ठहरिए न...82-83 से एरिया ऑफ शुगरकेन बढ़ा हैं । यह जो रिकवरी हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई हैं, तो रीहैबिलिटेशन का प्रोग्राम है, उसमें यदि तरक्की नहीं होती तो हमारा उत्पादन 82 में....(**व्यवधान**)....

श्री संतोष बागड़ोदिया: हमने इसका ऑब्जेक्शन ही नहीं किया ।

श्री सभापति: आप बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**).. no. I won't allow you. *{Interruptions)* Please sit down. *(Interruptiions)*

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, he is confusing. *{Interruptions)*
मैं सवाल कर रहा हूं...(**व्यवधान**)...

श्री शरद यादव: ये खुद कंफ्यूज्ड है और मुझे कह रहे हैं कि कंफ्यूज कर रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बोलने तो दीजिए ।

श्री शरद यादव: सभापति जी, मैं यह मानता हूं कि यह फंड इस बात के लिए था, जो ये कह रहे हैं कि इस फंड का जो बेसिक फीचर है, जो शुगरकेन फारमर्स हैं, गन्ना किसान हैं । उन गन्ना किसानों के लिए आप कानून की बात कर रहे हैं । कानून होगा तो उसे लागू करेगे । लेकिन उसको मदद करने का काम करेंगे और हमने किया है। हमने कानून बना लिया हैं ।